न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या 502/2017

अपीलांटः—

श्री कुनाराम गोदीपुत्र श्री खीमा जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी पाली तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम रेस्पोडेण्ट्सः—

श्री मृतक नथु पुत्र श्री हीराजी जाति कीर, निवासी कीरों की ढाणी, पाली तहसील पाली के कायम मुकामः—

1. श्री जसाराम पुत्र श्री नथु
2. श्री शंकर पुत्र श्री नथु
3. श्री गोपाल पुत्र श्री नथु, जातिगण कीर, निवासीगण कीरों की ढाणी, पाली तहसील पाली जिला पाली (राजस्थान)
4. श्री डूंगा पुत्र श्री घीसा जाति कीर, निवासी कीरों की ढाणी, पाली तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
5. नगर परिषद, पाली तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पाली तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थितिः—

1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

रेवेन्यु अपील हस्ब दफा 75 आर.एल.आर. एक्ट, 1956 खिलाफ मुकदमा संख्या 653 अदिनांकित मौजा मण्डली खुर्द, तहसील पाली के खसरा नंबर 66 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा निस्बत तत्कालीन ग्राम पंचायत मण्डिया द्वारा सादिर किया

—:आदेशः— दिनांक 13-02-2019

1. अपीलांट ने यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मण्डली खुर्द तहसील पाली में खसरा नंबर 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा स्थित है जिस कृषि भूमि का एकमात्र खातेदार टिनेन्ट अपीलांट का गोदी पिता खीमा पुत्र हीराजी जाति कीर निवासी कीरों की ढाणी, पाली था एवं रहा एवं अपने जीवनकाल में उक्त आराजी पर काबिज रह काश्त करता था एवं रहा। उक्त आराजी के खातेदार खीमा पुत्र हीराजी के किसी प्रकार की कोई जायन्दा पुत्र—पुत्रीया के संतान न तो उत्पन्न हुई एवं न है जिससे उक्त खीमा पुत्र हीराजी एवं अपनी पत्नि जेठी बाई द्वारा अपने कुटम्ब वंशज में नाम चलता रहे एवं अपने बूढापे में सेवा—चाकरी करने एवं अपने परिवार का नाम रहे के मकसद से उक्त खीमा एवं उसकी पत्नि जेठी बाई द्वारा अपने जीवनकाल में ही यानि करीब सन् 1973 में अपीलाण्ट के प्राकृतिक माता—पिता की सहमति से सामाजिक रीति—रिवाज से गोद की तमाम रस्में पूरी कर अपीलाण्ट को पागड़ी बंधवा खीमा पुत्र हीराजी के गोद में अपीलाण्ट के प्राकृतिक माता—पिता द्वारा समाज की मौजूदगी में बैठा दिया था एवं उक्त खीमा पुत्र हीराजी द्वारा अपीलाण्ट को अपना गोदी पुत्र होना सहर्ष स्वीकार कर दिया था तब से अपीलाण्ट अपने प्राकृतिक पिता नथुजी का घर परिवार को त्याग कर अपने गोदी पिता खीमा पुत्र हीराजी के घर, परिवार में बतौर गोदी पुत्र के रहने लगा एवं आज भी अपीलांट अपने गोदी पुत्र खीमा पुत्र हीराजी के

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

है। तत्पश्चात् अपीलाण्ट के गोदी पिता खीमा का देहान्त दिनांक 14–05–1975 को हो गया जिसके अंतिम संस्कार वगैरह की तमाम रस्मे बतौर गोदीपुत्र के एकमात्र अपीलाण्ट ने की। तत्पश्चात अपीलाण्ट खीमा पुत्र हीराजी का गोदीपुत्र होने बाबत् भविष्य में किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद न हो के उद्देश्य से एक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 02–12–1978 को अपीलांण्ट की गोदी माता जेठीबाई द्वारा निष्पादित किया गया तत्पश्चात् अपीलांट को गोदीमाता जेठीबाई का भी देहान्त दिनांक 18–05–1981 को हो गया है। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 02–12–1978 एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 14–05–1975 एवं 18–05–1981 की नकलें प्रमाणित साथ पेश है। अपीलाण्ट मृतक खीमा पुत्र हीराजी का गोदीपुत्र होने बाबत् राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान–पत्र की नकलें प्रमाणित साथ पेश है। आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी का एकमात्र खातेदार टिनेन्ट अपीलाण्ट का गोदी पिता खीमा पुत्र हीराजी, जाति कीर था जिस खीमा एवं खीमा की बेवा जेठी बाई का देहान्त हो चुका है जिस खीमा की मृत्यु के वक्त उक्त मृतक खीमा का एकमात्र प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी बतौर गोदीपुत्र के अपीलाण्ट जीवित मौजूद था रहा एवं आज भी जीवित मौजूद है जो अपने गोदी पिता खीमा की मृत्यु के पश्चात् से आज दिन तक उक्त आराजी पर लगातार काबिज रह काश्त करता था, रहा एवं आज भी मौके पर काबिज रह काश्त करता है जिस कानून की अहम स्थिति को अदालत मातेहत द्वारा अनदेखा करते हुए उक्त आराजी पर काबिज खातेदार अपीलाण्ट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों अनुसार बिना नोटिस दिये एवं बिना जवाब शहादत सुनवाई का अवसर दिये खिलाफ कानून उक्त आराजी के खातेदार मृतक खीमा पुत्र हीराजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी काबिज खातेदार अपीलाण्ट जीवित मौजूद होते हुए द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी कब्जा विहिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 के पिता नथुजी पुत्र हीराजी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में म्युटेशन संख्या 653 के जरिये अमल दरामद करने में अदालत मातेहत ने कानूनी एवं वाक्याती गंभीर भूल की है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 4 मय इनके पूर्वज नथु एवं घीसा का कत्तई कभी भी कोई कब्जा–काश्त आदेश जैर अपील में वर्णित भूमि पर न था, न रहा, न आज भी है बल्कि एकमात्र उक्त आराजी पर कब्जा–काश्त अपीलाण्ट का था, रहा एवं आज भी मौके पर विद्यमान है। अपीलांट मृतक खीमा पुत्र हीराजी का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी बतौर गोदीपुत्र होने से मृतक खीमा की दीगर खातेदारी भूमि मौजा मानपुरा, तहसील पाली के खसरा नंबर 58 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा एवं मौजा पाली चक–2, तहसील पाली के खसरा नंबर 681 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि अपीलाण्ट कुनाराम गोदीपुत्र खीमाजी के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में इन्द्राज किया गया जिस म्युटेशन संख्या 333, मौजा मानपुरा एवं मौजा पाली चक–2 की जमाबंदी संवत् 2064 से 2067 की नकलें प्रमाणित साथ पेश है। म्यूटेशन संख्या 653 स्वीकृत अदिनांकित की नकल प्रमाणित साथ पेश है। आदेश जैर अपील मात्र अकेले सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डिया द्वारा खिलाफ कानून सादिर किया गया है जबकि कानूनन अकेले सरपंच को म्यूटेशन सादिर करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होते हुए सादिर किया गया है जिससे भी अदालत मातेहत द्वारा सादिर आदेश जैर अपील होने बिला अधिकार क्षेत्र के से कानूनन काबिल निरस्त के है। अदालत मातेहत द्वारा मृतक खीमा पुत्र हीराजी का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी अपीलाण्ट गोदीपुत्र जीवित मौजूद होते हुए मृतक खीमा के फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 653 के जरिये द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारीगण कब्जा विहिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 3 के पिता नथु एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के नाम बिना अपीलांट को जवाब शहादत सुनवाई हेतु नोटिस दिये एवं बिना उक्त आराजी के कब्जे निस्बत् जांच किये आदेश जैर अपील सादिर किया गया जो कानूनन काबिल निरस्त के है एवं आदेश जैर अपील में वर्णित आराजी का म्यूटेशन बहक अपीलाण्ट स्वीकृत किया जाना कानून की मंशानुसार आवश्य एवं लाजमी है। अपीलाण्ट की ओर से विरूद्ध रेस्पोडेण्ट्स अपील पेश कर निवेदन है

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

कि अदालत मातेहत द्वारा सादिर म्यूटेशन संख्या 653 स्वीकृत आदिनांकित को निरस्त फरमाते हुए अपील अपीलांट मय खर्चा वो हर्जा के मंजूर फरमाई जावे एवं मृतक खीमा पुत्र हीरा की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मौजा मण्डली खुर्द, तहसील पाली का खातेदार अपीलांट को जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी वगैरह में इंद्राज किये जाने निस्बत तहसीलदार, पाली को आदेश फरमाया जावे।

2. अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट, 1963 के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने अदालत मातेहत द्वारा सादिर म्यूटेशन संख्या 653 स्वीकृत अदिनांकित के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय में अपील पेश की है जिस अपील में वर्णित कथनोनुसार उक्त अपील को म्याद के अधिन दर्ज फरमा उक्त अपील में अग्रिम कार्यवाही किया जाना लाजमी है। आदेश जैर अपील सादिर के पूर्व अदालत मातेहत द्वारा प्रभावी एवं क्षुब्ध पक्षकार अपीलाण्ट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो अनुसार बिना जवाब शहादत सुनवाई का नोटिस दिये सादिर किया गया है जिससे उक्त आदेश जैर अपील का ज्ञान अपीलाण्ट को अंदर अवधि नहीं हो सका। दिनांक 10–01–2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 4 द्वारा अपीलाण्ट को उक्त आराजी निस्बत कहा कि राज के रेकर्ड में यह जमीन हमारे नाम है इसलिये इस जमीन का कब्जा छोड़ देना तब अपीलाण्ट ने कहा कि उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मेरे गोदी पिता खीमाजी की है एवं उनकी मृत्यु के पश्चात से आज दिन तक कब्जा–काश्त बतौर गोदीपुत्र के मेरा चला आ रहा है तब रेस्पोडेण्ट संख्या 1 लगाय 4 ने कहा कि तुम्हारे नाम उक्त जमीन कराने की कार्यवाही कर देना अन्यथा इस जमीन पर हम कब्जा करेंगे तब अपीलाण्ट दिनांक 10–01–2012 को पाली आकर उक्त म्यूटेशन संख्या 653 की नकल हेतु एप्लाई किया जिस पर उक्त आदेश जैर अपील (म्युटेशन संख्या 653) की नकल प्रमाणित दिनांक 12–01–2017 को शाम को प्राप्त हुई जिसको पढ़ने एवं पढ़ाने पर अपीलाण्ट को आदेश जैर अपील की पूर्ण जानकारी दिनांक 12–01–2017 को ही हुई उसके पूर्व उक्त म्यूटेशन संख्या 653 की कत्तई कोई जानकारी अपीलाण्ट को नहीं थी। तत्पश्चात् दिनांक 12–01–2017 से कल तक का समय अपीलाण्ट को आवश्यक कागजात प्राप्त कर अपील तैयार करवाने में एवं वकील मेहनताना व अपील खर्चा का इन्तेजाम करने में समय लगा जिससे अपील आज पेश है इन हालात में आदेश जैर अपील के विरूद्ध अपीलाण्ट को अपील पेश करने में हुई देरी का पर्याप्त एवं संतोषजनक होने से अपील पेश करने में हुई देरी को माफ फरमाते हुए अपील में अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं लाजमी है। शपथ–पत्र साथ है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट की ओर से पेशकर निवेदन है कि आदेश जैर अपील के विरूद्ध हाजा अपील अपीलाण्ट की ओर से पेश करने में हुई देरी का पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण होने से अपील पेश करने में हुई देरी को माफ फरमाते हुए अपील में अग्रित कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमावें।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. रेस्पोडेंट्स संख्या 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अदालत मातेहत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 653 के विरूद्ध श्रीमान् के न्यायालय में अपील पेश करना स्वीकार है परन्तु अपील अपीलार्थी अपील एवं हस्तगत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार प्रथम दृष्ट्या मयाद बाहर है अतः मयाद के बिन्दू को तय किये बिना विधि अनुसार अपील में अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसी विधि की मंशा है। आदेश जैर अपील सादिर के पूर्व अदालत मातेहत द्वारा अपीलार्थी को जवाब, शहादत हेतु नोटिस दिये जाने की विधिक आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्वर्गीय खीमा ने अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को गोद नहीं

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

लिया और न ही जेठी देवी ने अपीलार्थी को गोद लिया। इसके अलावा नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसमें गोद का बिन्दू तय नहीं किया जा सकता है। जहां तक योग्य अधीन न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य म्यूटेशन की जानकारी अपीलांट को दिनांक 12–01–2017 को होने का प्रश्न है इस संबन्ध में निवेदन है कि जब इस पद में दर्ज अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 04 ने दिनांक 10–01–2017 को या अन्य किसी भी तारीख को अपीलार्थी को यह नहीं कहा कि उक्त आराजी के राज के रेकर्ड में यह जमीन हमारे नाम है, इसलिये इस जमीन का कब्जा छोड़ देना। तथा अपीलार्थी का यह कथन भी गलत एवं झूठ है तक तब अपीलार्थी ने कहा कि उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा मेरे गोदी पिता खीमाजी की है एवं उनकी मृत्यु के पश्चात् आज दिन तक कब्जा काश्त बतौर गोदीपुत्र के मेरा चला आ रहा है। अपीलार्थी का यह कथन अप्राकृतिक (Un-Natural) होकर गलत एवं झूठ होने से अस्वीकार है रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 04 ने अपीलार्थी से कहा हो कि वह अपने नाम उक्त जमीन कराने की कार्यवाही करे अन्यथा इस जमीन पर रेस्पोडेंट संख्या 01 लगायत 04 कब्जा करेगें, तब अपीलार्थी ने दिनांक 10–01–2018 को पाली आकर उक्त म्यूटेशन संख्या 653 की नकल हेतु एप्लाई किया जिस पर उक्त आदेश जैर अपील (म्यूटेशन संख्या 653) की नकल प्रमाणित दिनांक 12–01–2017 को शाम को प्राप्त हुई जिसको पढ़ने एवं पढ़ाने पर अपीलांट को आदेश जैर अपील की पूर्ण जानकारी दिनांक 12–01–2017 को हुई। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 653 श्री खीमा के देहान्त के बाद उनके विधिक वारिसान् के पक्ष में विधि अनुसार भरा गया जो अपीलार्थी की जानकारी में होते हुये भरा गया। अपीलार्थी का यह कथन भी गलत एवं सफेद झूठ है कि दिनांक 12–01–2017 के पूर्व अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 653 की जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी का यह कथन भी गलत झूठ है कि उक्त अपील तैयार करवाकर जानकारी से अंदर मयाद प्रस्तुत करवा रहा है जो अंदर मयाद है। बल्कि सही तथ्य तो यह है कि अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी अपीलार्थी को उक्त म्यूटेशन स्वीकृति की दिनांक से बहुत अच्छी तरह से थी एवं है। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी फौतेदगी म्यूटेशन की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 12–01–2017 के पूर्व से थी। इस तथ्य की ताईद अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपनी अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से भी होती है। क्योंकि अगर अपीलार्थी गोदपुत्र के होने के आधार पर तथाकथित दो नामान्तरकरण सन् 1985 एवं 2011 में अपने पक्ष में स्वीकृत करवाता है तो उसने करीब 27 वर्षो के लम्बे अन्तराल तक जैर अपील म्यूटेशन के विरूद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की। इस बाबत लेसमात्र तथ्य कथन प्रार्थना पत्र से प्रकट नहीं है। इसके अलावा गोद के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा बाबत् विनिश्चिय केवलमात्र रेगूलर वाद में विनिश्चित किया जा सकता, ऐसी समरी प्रोसेडिंग में नहीं अतः उक्त तथाकथित गोदपुत्र होने के आधार पर अपीलार्थी अपीलाधीन म्यूटेशन को निरस्त नहीं करवा सकता, जब तक कि सक्षम न्यायालय से तथाकथित गोद की घोषणा प्राप्त नहीं कर ले। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने तथा मेरीट पर कमजोर से भारी हर्जे खर्चे सहित खारिज फरमावें।

5. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मण्डली के खसरा नंबर 66 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। खीमा पुत्र नथू ने अपने जीवनकाल में कुनाराम को गोद लिया खीमा की बीवी ने भी कुनाराम को गोद लिया। खीमा के फौत होने पर नथू और डुंगा के नाम नामां0 संख्या 653 भरा गया जिसमें अपीलांट को

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा न ही सुना गया तथा नथू और डूंगा दोनों भाई थे जब गोद पुत्र जिंदा था तो भाई के नाम नामां0 क्यों खोला गया? नामां0 सरपंच अकेले द्वारा नामां0 को स्वीकृत किया गया जो बगैर कौरम के भरा गया जिसे यथावत नहीं रखा जाना चाहिए। अपीलांट ने अपील के साथ रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि गोद खीमा के जीवन काल में सामाजिक रिति रिवाज से लिया गया था। अपीलांट ने अपील के साथ चुनाव पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रस्तुत किया है जिसमें अपीलांट कुनाराम गोद पुत्र खीमाराम दर्ज है। अपीलांट ने जेठी की मृत्यु दिनांक 18–05–1981 तथा खीमा की मृत्यु दिनांक 14–05–75 को होने के मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये है। खीमाजी के ग्राम मानपुरा में भी कृषि भूमि है जिसका म्यूटेशन अपीलांट के नाम बतौर गोदपुत्र दर्ज किया गया है। पाली चक II में भी खीमाजी की गैर खातेदारी की जमीन है जिसमें भी अपीलांट को बतौर गोदपुत्र गैर खातेदार दर्ज किया गया है। 2003 आरआरटी पेज 718 के अनुसार गोदनामा रजिस्टर्ड होना भी जरूरी नहीं है। प्रस्तुत मामले में तो रजिस्टर्ड गोदनामा प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 ने बहस का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गोदनामे से यह पता नहीं चलता कि आपको किस दिनांक को गोद लिया गया थां गोद 78 में लिया गया और म्यूटेशन 90 में हुआ। गोद के लिए आवश्यक है कि गोद देना एवं लेना आवश्यक है न कि सिर्फ गोदनामा का लिख देना। गोदनामा कब लिया गया इसकी तारीख गोदनामा में नहीं है। जो माता पिता गोद दे रहे है उनके हस्ताक्षर नहीं है। क्या गोद के तथ्य म्यूटेशन कार्यवाही में देखे जा सकते है इस संबन्ध में आरआरटी 2003 वोल्यम 1 पेज 650, सुप्रीम कोर्ट पेज 223 (1996) का अवलोकन करावें। गोदनामा के लिए पहले सक्षम न्यायालय में दावा करें। आरआरडी 1989 पेज 572, 2002 वोल्यम डब्ल्यूएलसी पेरा 18 का अवलोकन करावें। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

8. मयाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि मैं इस जमीन पर हमेशा से काबिज हूं। म्यूटेशन भरते समय मुझे नोटिस नहीं दिया गया। म्यूटेशन भरते समय ग्राम पंचायत के कोरम में निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए इस म्यूटेशन पर पारित निर्णय अपीलांट के विरूद्ध नल एण्ड एबइनिशियो वोईड है। इसलिए अपीलांट को जब इसका इल्म हुआ तब नामां0 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की एवं अपील को तैयार करवाया एवं अपील प्रस्तुत की। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का होने से मयाद को क्षमा की जावे। 1992 आरआरडी पेज 17 सी क्लॉज, 92 आरआरडी पेज 21, 89 आरआरडी पेज 45, 82 आरआरडी पेज 332 का अवलोकन करावें। अपीलांट का मयाद प्रार्थना–पत्र स्वीकार करावें।

9. मयाद के बिन्दु पर विद्वान अभिभाषक रेस्पों0 ने बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने कहा कि उसे अन्य कृषि भूमि में गोदपुत्र की हैसियत से दर्ज किया गया है इसका मतलब उसे पता था तब विलम्ब क्यों किया गया। म्यूटेशन पर हमेशा सरपंच के ही हस्ताक्षर होते है न कि पूरे कोरम के। 2010 एससी पेज 294 को अवलोकन करावें लिमिटेशन का तथ्य अगर गलत हो तो स्वीकार ना करें धमकी से पता चला की जमीन हमारी है। अपील का निर्णय करने से पहले लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र का निर्णय करना आवश्यक है। गोदनामा का लिखत 2–12–78 का जबकि गोद लिया जाने का तथ्य 15–05–75 का यानि गोदनामा मृत्यु होने के पश्चात् लिखा गया है। अपील खारिज फरमाई जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

10. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन का अवलोकन करावें। टिप्पणी में जो आधार दर्शित किये है वह अपीलांट गोदपुत्र होने से अस्वीकार है। सरपंच द्वारा मात्र स्वीकृत किया गया अंकित कर हस्ताक्षर किए है इसमें उल्लेखित नहीं किया कि कोरम की सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया है आदेश यदि सर्वसम्मति से पारित किया गया तो इसका कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई नहीं की गई है। खीमाजी की तीनों जमीनें गोदी पुत्र होने से आज भी अपीलांट की है। अपीलांट को नोटिस नहीं दिये जाने से अपीलाधीन म्यूटेशन का पता नहीं चला। दिनांक 10–01–17 को रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट को अपीलाधीन भूमि रेस्पों0 के नाम होने एवं कब्जा छोड़ देने की धमकी दिये जाने पर सर्वप्रथम अपीलांट की जानकारी मे आया जब यह अपील प्रस्तुत की। मैं धारा 88 आर.टी.एक्ट में घोषणात्मक दावा लेकर नहीं आया जबकि 91 आरआरडी के अनुसार मैं 88 आर.टी.एक्ट तथा 75 आर.एल.आर. एक्ट में आ सकता था। गोदनामा रजिस्टर्ड है और यह अगर फर्जी है तो रेस्पों0 ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? इसका मतलब है इनकी स्वीकृति है। नथू ने मरने के बाद मैंने उससे कुछ नहीं लिया। क्योंकि मैं खीमाजी के गोद चला गया था मैंने नाथ से कुछ लिया हो तो उसका रेस्पों0 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। जेठी अकेली भी मुझे गोद ले सकती थी। अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

11. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस के दौरान उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का विवेचन निम्न प्रकार से है– 1982 आरआरडी पेज 332 के अनुसारः– (a) Limitation - From date of knowledge- Appeal against order of G.P. opening mutation, filed after 9 yrs. from date of knowledge, dismissed by Collector as barred by limitation - Held, appeal from date of knowledge, not barred by limitation since no notice, given by G.p. to applicants (sons of recorded khatedar) whose rights affected.

(b) Mutation- Notice to recorded Khatedar- Notice, required to be give to persons whose rights, affected- Order of G.P. without notice, held not proper Appeal after 9 yrs. from date of knowledge could not be called as barred by limitaion.

1989 RRD Page 45 - Rajasthan Land Revenue Act, Section 75 - Order which is void ab initio can be challenged at any time- Appeal filed after more than 18 years but immediately after knowledge, is not barred. (Para 4)

1992 RRD page 17- (c) Limitation Act, Section 3- Impugned order, illegal and nonest - Such an order cam be challenged at any time (Pare 3)

1992 RRD Page 21- (b) Limitation Act, Section 3 - A revision petition against an order which is ab initio whithout jurisdiction and nonest cannot be thrown over board on a technical ground of limitation for the simple reason that such an order can be quashed at any time. (Para 4)

2003 RRT Page 718- Rajasthan Tenancy Act, 1955- Secs. 53, 88 & 188- Plaintiff sought partition of the ancestral land- Suit decreed- RAA reversed the judgment on the basis that R-1 was adopted son of deceased 'R,G,' - N0 case is made out for the partition- No name of R-2 to R-7 in the revenue record & they also sleeping respondents- appeal connot be dismissed in absence of R2 to R7 - Ptff. admitted that adoption in writing was not necessary & only required to fulfill the customary ceremonies- R-1 was treated as adopted son of 'R.G.' by relatives & general public- RAA has appreciated the oral & documentry evidence property-No illegality in the judgment passed by RAA & confirmed.

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

RRD 1984 Page 54- Mutation- Attested by Upsarpanch- Held, power of attesting mutation, delegated to G.P. having jurisdiction- G.P. does not mean a Sarpanch or Upsarpanch or any Panch but a validly called meeting of G.P., having quoram - To hold otherwise would mean that each and every Panch, Upsarpanch or Sarpanch of G.P. can at his own, without callingh meeting and without quoram can attest any mutation any time anywhere - Mutation cancelled. (Pare 3)

रेस्पोंडेंट्स द्वारा प्रस्तुत नजीरों का विवेचन निम्न प्रकार से है–

RRT 2003 (1) Page 650- Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Sec. 135 - Mutation proceeding- Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated isuue of succession, either by way of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have ot approach the appropriate forum for adjudication of title.

RRD 1989 Page 572- (e) Raj. Land Revenue Act. Section 135 - Mutation proceedings are merely fiscal and not relevant for determining title.(Para 6)

Western Law Cases (Raj.) 2002 Page 99- B : Practice & Procedure - Declatation of title - Title cannot be decided in summary proceedings and a decision in summary proceedings does not amount to declaration of title. (Para 18)

2010 DNJ (SC) Page 294- Limitation Act, 1963- Sec. 5 - Condonation of delay - Delay of more than 4 years in filling appeal-Delay condoned- Dispute of levy of minimum charges for water for the period between 1978 and 16.4.2001 - Respondent defendant did not appear and no written statement filed - Suit decreed on 30.10.2004 - Appeal against the judgment filed after 4 years - Specific mention of decree dt. 30.10.2004 in 2nd suit in the year 2005 and after service of notice respondent did not appear and suit decreed ex parte on 12.12.2007 - Respondent tried to misled the court - Statement mede by respondent is not only incorrect but is ex facie false and High court committed error in cononing the delay - Held, Order set aside and appeal stand dismissed being time barred (Paras 10, 12 & 13)

RRT 2013 (1) Page 125 - Imp. Point:- Question of limitation should have been decide first before entertaining the appeal.

RRT 2007(2) Page 920 - Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Sec. 135 - Mutation attested in name of brother of deceased 'K' - Petitioner failed to prove adoption - Under Hindu Succession Act land belonging to deceased 'K' would revert to his surviving brother - Held, No illegality in the order & justified.

RRT 2003(1) Page 650- Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Sec. 135 - Mutation proceeding - Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriate forum for adjudication of title.

2013 DNJ (SC) Page 171- (A) Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 - Secs. 11, 16 - Trial Court held the adoption of 'R' valid since there was no custom of adopting a male child only from within the same family - Decree reversed and upheld in second appeal - Respondents faile to prove that a male child from out side the family could not be adpted - Over a period of 375 years only at 4 occasions the male child was adopted from the same family - Adopted child was of 8 years and adptive mother was of above 70 years of age and registered adoption deed executed - Presumption u/s 16 of the Act that the adoption was taken place in compliance with the provisions- Registered document not challanged - Document was valid and cannot be discarded by the appellate Court. (Paras 15, 16, 26, 27)

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

(B) Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 - Sec. 10 - Adoption - Valid requirements - Ample evidence to prove the occurrence of giving and taking ceremony - Appellate Courts were not justified in drawing adverss inference for non-eximination of appellant/plaintiff 'L' - Plaintiff died before the commencement of the trial - Reliable evidence of PW-4 and PW-2 photographer - view taken by the appellate Courts is not proper and considered the irrelevant material - Held, Judgments passed by the Appellate Courts are set aside and judgment of trial Court is restored. (Paras 28, 29, 32, 33, 37, 39,40)

12. पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम मण्डली खुर्द का अपीलाधीन नामां0 संख्या 653 खीमा पुत्र हीरा कौम कीर की खातेदारी भूमि होना कॉलम संख्या 7 में अंकित है। कॉलम संख्या 14 में खीमा के लाऔलाद फौत होने पर नाथू तथा घीसा के पुत्र डूंगा के नाम भरा जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत मंडिया द्वारा स्वीकृत किया गया। नामां0 किस तारीख को स्वीकृत किया गया ऐसा कोई नोट सरपंच द्वारा अंकित नहीं किया गया है। गोदनामा श्रीमती जेठी बेवा खीमा द्वारा दिनांक 12–12–78 को कुनाराम पुत्र नाथूजी के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवाया गया है जिसमें उल्लेखित है कि **''कुनाराम उनके देवर खीमाराम वल्द नाथू जी का जाईदा पुत्र है तथा उसके पति के जीते जी उसके पति तथा उसने उसे गोद लिया था और हमारे गोद में बिठला दिया था तथा जाति न्याति के नियम के अनुसार रितिरिवाज पूरा कर लिया था गोद लेने की सारी रश्म रिवाज मेरे पति व मैंने उनके जीतेजी पूरी कर ली थी।''** अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में निर्वाचन पहिचान पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उसके पिता का नाम खीमाराम अंकित है, आधार कार्ड में पिता का नाम खीमाराम अंकित है, परिवार राशन कार्ड में पिता का नाम खीमाराम अंकित है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों को ध्यान में रखते हुए यह पाया जाता है कि गोदनामा श्रीमती जेठी बेवा खीमा द्वारा दिनांक **12–12–78** को कुनाराम पुत्र नाथूजी के पक्ष मे रजिस्टर्ड करवाया गया है तथा इस गोदनामा को किसी न्यायालय में चैलेंज किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर रेस्पोंडेंट्स द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया है। रजिस्टर्ड गोदनामा में लिखी गई इबारत के अनुसार जेठी तथा उसके पति खीमा द्वारा जाति न्याति के नियम के अनुसार रितिरिवाज पूरा कर लिया था। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामा के आधार पर मृतक खीमा की ग्राम मानपुरा एवं पाली चक II में स्थित अन्य कृषि भूमि अपीलांट के नाम बतौर गोदपुत्र खातेदारी/गैर खातेदारी की रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो चुकी है। ग्राम मण्डली खुर्द का नामां0 संख्या 653 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक **22–08–90** को भरा गया तथा भू.अ.नि. द्वारा दिनांक **23–08–90** को जांच किया गया। नामां0 संख्या 653 भरे जाने से पूर्व कुनाराम को गोद लिया जा चुका था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8(क) के अनुसार अनुसूची I के अनुसार पुत्र व विधवा निर्वसीयत मरने वाले हिन्दू पुरूष की सम्पति न्यागत (Devolve) होती है। इस कारण अपीलांट के अपीलाधीन कृषि भूमि में हित निहित होने के बावजूद न तो उसे सुना जाना एवं न ही उसे नोटिस दिया जाना साबित होता है। अपीलांट द्वारा उसे जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में सरपंच, ग्राम पंचायत मंडिया द्वारा अपनी निजी हैसियत से नियम विरूद्ध पारित आदेश को किसी भी समय चैलेंज किया जा सकता है एवं लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान ऐसे आदेश पर लागू नहीं हो सकते।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को माफ किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

जाकर ग्राम मंडलीखुर्द के नामां0 संख्या 653 पर पारित सरपंच, ग्राम पंचायत, मंडिया के आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, पाली को रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांट को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए विधिवत् निर्णय पारित करें। मूल नामां0 संख्या 653 इस आदेश की प्रति सहित तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 13.02.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner